

प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001 Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260, अर्वे घण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(बैंक द्वारा नियुक्त संवीक्षक को लौटाया जाए) / (To be returned to the Scrutinizer appointed by the Bank)

1.	पहले	नामित	शेयरधारक	का न	ाम औ	र पता	
	Nam	e and	Address o	f the f	first n	amed	Shareholder

- 2. संयुक्त शेयरधारक (ओं) का नाम, यदि कोई हो तो Name(s) of Joint Shareholder(s), if any
- 3. पंजीकृत फोलियो नंबर / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी * (*कंवल डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) Registered Folio No. / DPID /Client ID* (*applicable only to Shareholders holding shares in demat form)
- 4. धारित इक्विटी शेयर (रों) की संख्या / Number of equity share(s) held:
 - में / हम, डाक मतपत्र के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते हैं जो कि बैंक के दिनांक 3 अक्तूबर 2019 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं / हम कथित प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (🗸) चिन्हे लगाकर करता / करती हूँ / करते हैं।

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special resolution enumerated below to be passed through Postal Ballot as stated in the Notice dated October 03, 2019 issued by the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (🗸) mark at the appropriate box below:

क्रम सं Sr. No	पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 3 अक्तूबर 2019 में निर्घारित व्यवसाय का विवरण / Description of the business set out in the Postal Ballot Notice dated October 03, 2019	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या / No. of Equity Shares held	प्रस्तावों के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	प्रस्तावों के लिए मेरी/ हमारी असहमति (विपक्ष में)/ I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया गया निर्गम मूल्य पर नकदी के लिए प्रीमियम के अधिमान्य आधार पर रु 2534 करोड़ एकत्र करने के लिए भारत सरकार को प्रत्येक रु 10 / – के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के अपेक्षित शेयरों की संख्या उपलब्ध करने, प्रस्ताव देने, जारी करने और आबंटित करने के लिए,			
	To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each to the Government of India (GOI) aggregating to ₹ 2534 crore on preferential basis inclusive of premium for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.			

ध्यान / Place : देनांक / Date :	शेयरधारक के हस्ताक्षर /	Signature of the Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विवरण/ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीएसएन (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या)/	यूसर आईडी ⁄	पैन / अनुक्रम संख्या /
EVSN (Electronic Voting Sequence Number)	User ID	PAN/Sequence Number
191005001		

()		/D 1 11
इमल	पता :	/ E-mail address:

(भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।)/(To be provided by the Shareholders holding equity shares in physical form.)

नोट : कृपया अपने मत का प्रयोग करने से पहले दिनांक 3 अक्तूबर 2019, को दिए गए पोस्टल बैलट नोटिस और नोटों में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। **संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट** फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 नवम्बर. 2019 शाम 5 बजे तक है।

Note: Please read the instructions given overleaf and in the Notes to the Postal Ballot Notice dated 3rd October, 2019, carefully before exercising your vote. The last date for the receipt of Postal Ballot Forms by the Scrutinizer is November 13, 2019, 5.00 p.m

पोस्टल बैलेट फॉर्म भरने के निर्देश / Instructions for filling Postal Ballot Form:

- (क) पोस्टल बैलट द्वारा वोट का प्रयोग करने को इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा कर सकता है और इसे संलग्न स्व—संबोधित प्री—पेड पोस्टेज बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में संवीक्षक को भेज सकता है। डाक शुल्क बैंक द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, पोस्टल बैलेट फॉर्म (ऑ) वाले लिफाफे, यदि स्वयं व्यक्ति द्वारा जमा किए गए या शेयरधारक के खर्च पर कूरियर या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए हैं, तो भी स्वीकार किए जाएंगे।
- i) A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed pre-paid postage Business Reply Envelope. Postage charges will be borne and paid by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form(s), if deposited in person or sent by courier or registered/speed post at the expense of the Shareholder will also be accepted.
- (ख) इस फॉर्म को शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए (बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। संयुक्त होल्डिंग के मामले में, इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म पर एक प्रतिनिधि / अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की एक प्रति पोस्टल बैलेट फॉर्म में संलग्न की जाएगी।
- ii) This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank / Depository Participants). In case of joint holding, this Postal Ballot Form should be completed and signed by the first named Shareholder and in his / her absence, by the next named Shareholder. In case the Postal Ballot Form is signed through a delegate / authorized representative, a copy of the power of attorney shall be annexed to the Postal Ballot Form.
- (ग) विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म दिनांक 13 नवम्बर, 2019, बुधवार, को कार्य—समय के अंदर या उससे पहले संवीक्षक तक पहुंचना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म को ऐसे माना जाएगा जैसे कि शेयरधारक से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- iii) Duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours on Wednesday, the November 13, 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be strictly treated as if reply from such Shareholder(s) has not been received.
- (ध) संयक्त धारक की संख्या के बावजद प्रत्येक फोलियों के लिए केवल एक पोस्टल बैलेट फॉर्म होगा। पोस्टल बैलट को प्रॉक्सी द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- iv) There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint holder(s). Postal Ballot cannot be exercised by a proxy.
- (ङ) कंपनियों, ट्रस्टों, संस्थानों आदि के शेयरों के मामले में विधिवत रूप से पूर्ण किए गए मतपत्र के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / विधिवत प्रमाणित प्राधिकरण पत्र / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- v) In case of shares held by companies, trusts, societies etc. the duly completed Ballot Form should be accompanied by a relevant Board Resolution/Authority Letter duly certified/attested by authorized signatory/(ies).
- (च) यदि आवश्यक हो तो एक शेयरधारक डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। हालांकि, डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म में दर्ज विधिवत दिनांक 13 नवम्बर, 2019, बुधवार, को कार्य—समय के अंदर या उससे पहले संवीक्षक तक पहुंचना चाहिए।
- vi) A Shareholder may request for a duplicate Postal ballot form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours on Wednesday, the November 13, 2019.
- (छ) शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न स्व—संबोधित पूर्व—भुगतान डाक व्यवसायिक उत्तर लिफाफें में पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ कोई अन्य कागज न भेजें, क्योंकि ऐसे सभी लिफाफें संवीक्षक को भेजे जाएंगे और ऐसे लिफाफें में पाए गए किसी भी बाहरी कागज को संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और बैंक उसकी पावती या कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- vii) Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed pre-paid postage Business Reply Envelope, as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extraneous paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer and the Bank would not be liable to acknowledge or act on the same.
- (ज) एक शेयरधारक को सभी मतों का उपयोग करने की या सभी मतों को उसी तरह से वोट देने की जरूरत नहीं है। शेयरधारकों के मतदान के अधिकार 4 अक्तूबर, 2019 पर बैंक की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में अपने शेयर के अनुपात पर निर्भर होगी।
- viii) A Shareholder need not use all the votes or cast all the votes in the same way. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares in the total paid-up equity share capital of the Bank as on October 04, 2019.
- (झ) अपर्ण. अहस्ताक्षारित या गलत पोस्टल बैलेट फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और संबंधित शेयरधारक एवं बैंक के लिए बाध्यकारी होगा।
- ix) Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding on the concerned Shareholder and the Bank.
- (ञ) बैंक अपने सभी शेयरधारकों को डाक मतपत्र फॉर्म का उपयोग करने के बदले इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए, वैकल्पिक रूप में ई—वोटिंग की सुविधा भी दे रहा है। बैंक के दिनांक 03 अक्तूबर, 2019 के पोस्टल बैलट नोटिस के नोट में ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया की गणना की गई है।
- x) The bank is also offering e-voting facility as an alternate, for all its Shareholders to enable them to cast their votes electronically instead of using the Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting has been enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice dated October 03, 2019 of the Bank.
- (ट) यह पोस्टल बैलेट फॉर्म उन शेयरघारकों के लाम के लिए प्रदान किया जाता है, जिनके पास ई—वोटिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है, उन्हें डाक द्वारा अपनी सहमति या असहमति भेजने में सक्षम बनाने के लिए भेजा गया है।
- xi) This Postal Ballot Form is provided for the benefit of Shareholders who do not have access to e-voting facility, to enable them to send their assent or dissent by post.
- (ठ) एक शेयरधारक मतदान का केवल एक विकल्प चुन सकता है, यानी या तो डाक द्वारा या ई—वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई शेयरधारक दोनों मोड से वोट डालता है, तो ई—वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान प्रबल होगा और पोस्ट द्वारा किया गया मतदान अवैध माना जाएगा।
- xii) A Shareholder can opt for only one mode of voting, i.e. either by post or through e-voting. If a Shareholder casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Post will treated as invalid.
- (ड) पोस्टल बैलट का परिणाम 14 नवम्बर, 2019 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। संकल्प, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत अनिवार्य बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो बैंक द्वारा निर्दिष्ट पोस्टल बैलट फॉर्म या ई—वोटिंग की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि अर्थात 13 नवम्बर, 2019, बुधवार को पारित किया गया माना जाएगा।
- xiii) The result of the Postal Ballot shall be declared on or before November 14, 2019. The Resolution, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting i.e. Wednesday, the November 13, 2019, if approved by the requisite majority as mandated under the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.
- (ढ) शेयरधारक के मतों को निम्नलिखित में से किसी आधार पर अमान्य माना जाएगा
- xiv) The votes of a Shareholder will be considered invalid on any of the following grounds:
 - अ) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म पर शेयरधारक या शेयरधारक की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं;
 - a) If the Postal Ballot form has not been signed by or on behalf of the Shareholder;
 - आ) यदि शेयरधारकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाता हैं;
 - b) If the Shareholders signature does not tally;
 - इ) यदि शेयरधारक ने संकल्प के लिए अपने वोट को सहमित के लिए और असहमित दोनों के लिए चिह्नित किया है, इस तरह से कि कुल शेयरों के लिए मतदान किया सहमित तथा असहमित आयोजित शेयरों की कुल संख्या से अधिक हो;
 - c) If the Shareholder has marked his/ her its vote both for 'Assent' and also for 'Dissent' to the 'Resolution' in such a manner that the aggregate shares voted for 'Assent' and 'Dissent' exceed total number of shares held;
 - ई) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया हैं;
 - d) If the Shareholder has made any amendment to the Resolution or imposed any condition while exercising his/her vote;
 - उ) यदि शेयरधारक ने अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव में कोई संशोधन किया है या कोई शर्त लगाई है;
 - e) If the Postal Ballot Form is incomplete or incorrectly filled;
 - ऊ) यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म फटा हुआ है या विकृत या कटा—फटा हुआ है कि संवीक्षक के लिए शेयरधारक या वोटों की संख्या पहचान करना मुश्किल हो जाए या पहचान न पाये कि वोट सहमित या असहमित के लिए हैं या हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किए जा सकते हैं, या इस तरह के एक या अधिक आधार सत्यापित नहीं किए जा सकते हैं;
 - f) If the Postal Ballot Form is received torn or defaced or mutilated such that it is difficult for the Scrutinizer to identify either the Shareholder or the number of votes, or whether the votes are for 'Assent' or 'Dissent' or if the signature could not be verified, or one or more of such grounds;
 - ऋ) यदि उपयोग किया गया पोस्टल बैलेट फॉर्म बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है।
 - g. If the Postal Ballot form used is other than the one issued by the Bank.